

कुम्भाराम जाति नाली निवृत्ती ग्राम चोबदारों की
बागो, सैनीनगर तह. नवलगढ़

-बनाम-

दुर्गसिंह पुत्र श्री मीनसिंह जाति राजपूत
निवासी नाहरसिंघाणी जोहड़ तन्
नाहरसिंघानी तह. नवलगढ़

किस्म मुकदमा - प्रार्थना-पत्र अं.धा. 229, आदेश 47 नियम 5 एवं धारा 151सी.पी.
सी. (रिव्यू)

मु.नं 116 / 2023

30.12.2023

आज दिनांक को यह प्रार्थना-पत्र अं. धारा 229, आदेश 47
नियम 5 एवं धारा 151सी.पी.सी. (रिव्यू) आवेदक की ओर से श्री
आनन्दीलाल सैनी द्वारा बाबत कार्यालय हाजा की उनवानी पत्रावली
कुम्भाराम बनाम दुर्ग सिंह मु.नं. 112/2015 निर्णय दिनांक 31.08.
2023 को पुनः रिव्यू किये जाने पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र दर्ज
रजिस्टर होकर वास्ते बहस प्रार्थना-पत्र आईदा दिनांक 15.12.2023
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण
उपस्थित। पत्रावली गान
दिनांक 19/12/23 को
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

19/1/2024

किस प्र. पत्र पेश करने से पुनः अपील
या अतिरिक्त अपील दिया जाकर पत्रावली
आपडा दिनांक 23/12/2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (मु.नं. 116)

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़
द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा अधिवक्ता
P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
आपन्दा दिनांक 31/12/23 को पेश हो।

31/12/23
पत्रावली पेश। वकील उपस्थित। अधिवक्ता।
किस आदेशानुसार पत्रावली आ. वन्दा दिनांक
20/6/24 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़
द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा अधिवक्ता
P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
आपन्दा दिनांक 31/7/24 को पेश हो।

31/7/24
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़
द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा अधिवक्ता
P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
आपन्दा दिनांक 19/12/23 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी कोर्ट
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दौरे/अवकाश/अन्व
कोर्षों में व्यस्त होने से पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा
दिनांक 9/11/2025 को पेश हो।

9/11/2025

कार्ते कल 90 पत्र मूल आपदा डिवाइस
26/11/2025 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (सुपुन)

26/11/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान
अस्थिर। पत्रावली गत आदेशानुसार
दिनांक 13/11/2025 को पेश
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

13/11/2025

वकील काफेठ व काफेठ स्वयं उपस्थित।
कल 90 पत्र मूल आपदा 229 व 047 R 5
एव आपदा 151 CR (रिव्यू) की पेश करे
पर काफेठ हुनी गई। वकील काफेठ ने
अपने 90 पत्र संबंधित तथ्यों को दोहराते
हुए 90 पत्र सीमा विप्रे जाने का निवेदन
किया।

विश्व वकील काफेठ डाय पत्रुत कल पत्र
मानन किया गया। काफेठ काफेठ व पत्रावली

का श्री किलोकेन ठिया जया।
 संसक्ति पुस्तक नं. 112/2015
 के निरीय व डिडी दिनांक 31/08/2023
 का किलोकेन ठेने पर मह न्यायालय
 उक्त किलोकेन ठेने पर निरीय / डिडी
 मे ठिया प्रका के क्रुये नही पाता
 है। पाति किलोकेन विधि सम्मत व
 प्रोपर नियमागुता ठिया जया है।
 जिकरा किलोकेन प्रका से रिज्यू
 किलोकेन पुनः किलोकेन ठिया जाना
 उपरि नही है। इसलिये किलोकेन
 इस प्रकृत उक्त साठ पर बाबर
 रिज्यू किलोकेन चाप 229 व 047
 R05 रेड चाप 151 पर का पोषणिय
 व न्यायोचित नही ठेने से खाति
 किया जाता है।
 पत्रावली किलोकेन प्रका के किलोकेन
 से किलोकेन के बाबर तकमील जाहा
 दाखिल हाए है।

का
 न्यायालय अधिकारी
 मकलाद (मुन्सिफ)

का श्री कपलोकन डिप्टी जज
 संदर्भित मुकदमा नं. 112/2015
 के निर्णय व डिक्री दिनांक 31/08/2023
 का कपलोकन होने पर महान्यायालय
 उक्त अपीलित अपेक्षित/निष्पत्ति/डिक्री
 में किसी प्रकार के त्रुटि नहीं पाता
 है। पाठि अपेक्षित विधि सम्मत व
 प्रोपर नियमावली डिप्टी जज है।
 जितना उक्त डिक्री प्रकाशित रिज्यू
 अपेक्षित पुनः विलोकन डिप्टी जज
 उपरि नहीं है। इसलिये अपेक्षित
 इस प्रसंग उक्त साठ पत्र अपेक्षित
 रिज्यू क्रमांक चाप 229 व 047
 R05 हेतु चाप 151 पर का पोषण
 व न्यायोचित नहीं होने से खासि
 किया जाता है।
 पत्राचार केवल कुमा के काम
 से कम है बाक नकलील जाया
 दाखिल है।

का
 न्यायाधीश
 मुकदमा (मुकदमा)